न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

नेशल संख्या 270/2023 निर्णय दिनांक :– 17.03.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. भंवरलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रतनलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी डाबरकंला तहसील देवली जिला टोंक (राज.) –अप्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री अजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 251 खसरा नम्बर 1886 रकबा 1.06 है0 एवं खाता संख्या 254 खसरा नम्बर 1887 रकबा 1.11 है0 वाके तनग्राम डाबरकंला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर कल्याण दर्ज कर दिया है जो कि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राजस्व जमाबंदी आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरालाल ही दर्ज है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से अपने पिता हीरालाल का नाम दर्ज करवाने व कल्याण के अंकन हटाने के लिए अप्रार्थी को व राजस्व शिविर में शिविर प्रभारी को कई बार प्रार्थना पत्र दिये है। लेकिन आज तक प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरुस्त नहीं हो पाया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थीगण कई सरकारी योजनाओ के लाभ से

17.3.25

CamScanner

वंचित हो रहे है। इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर हीरालाल दर्ज करवाकर प्रार्थीगण के पिता की वल्दीयत कल्याण दर्ज है के अंकन को राजस्व रिकार्ड से डिलीट कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि आराजी हाल खाता संख्या 251 खसरा नम्बर 1886 रकबा 1.06 है. एवं खाता संख्या 254 खसरा नम्बर 1887 रकबा 1.11 है, वाके तनग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम कल्याण को विलोपित करवाकर प्रार्थीगण की वल्दीयत हीरालाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे ।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में ख. नं. 1886 रकबा 106 है0, 1887 रकबा 1.11 है0 ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 2 अस्वीकार है । प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जर्ये विकय पत्र के कय की है। विकय पत्र के जर्ये0 ना. सं. 69 एवं 237 के राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया है। प्रार्थीगणों के पिता का नाम विकय पत्र के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रार्थीगणो के पिता का नाम विकय पत्र के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नामान्तकरण की प्रति संलग्न है। प्रार्थना पत्र चरण 3 प्रार्थी सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र चरण प्रार्थी 4 सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण 5 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का चरण 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का चरण 7 कानूनी है।

विशेष आपतियांः— रा. ले. रे. एक्ट 1956 की की धारा 136 में अधिकार अभिजेख में भू—प्रबन्ध से पूर्व की त्रुटि को वर्तमान रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का प्रावधान है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को प्रार्थीगणों ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया है। जिसमें उन्होने ही अपने पिता का नाम कल्याण दर्ज

17.3.25

करवाया है। जो जर्ये नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में अमूल हुआ है। जो आर.ए. आर.ए 1956 की धारा 136 के क्षैत्राधिकार में नहीं आती है। अतः धारा 136 के क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट प्रावधानो में नहीं आने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 251व 220 में प्रार्थीगण के पिता का नाम कल्याण दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरा दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली पर संलग्न आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरा दर्ज रिकॉर्ड है।

पेरोकार सरकार द्वारा पेश नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम डाबरकला के नामान्तकरण संख्या 69 एवं 236 के कॉलम संख्या 7 में कल्याण ही नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अर्थात प्रार्थीगण ने उक्त विवादित भूमि जर्ये विक्रय पत्र क्रय की है। जिससे नामान्तकरण खोलते समय विक्रय पत्र अनुसार ही प्रार्थीगण का नाम कल्याण दर्ज हुआ है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर . एक्ट के तहत पेश किया जिसमें केवल सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 17.03.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

CamScanner